राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/251

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	187/2024	3/6/2024	14/6/24 [illegible]	14/6/2024

अनवान

श्री सुभाष कुमार S/o हुक्म चन्द धाकड़ श्री जगदीश S/o छीतर धाकड़

निवासी अडोदा त. बिजौलिया जि. भीलवाड़ा निवासी अडोदा त. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री छितर प्रसाद धाकड़ एडवोकेट श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

सुगना .... बनाम जगदीश ....

किस्म मुकदमा – 111–128 LRAct नम्बर 187/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/06/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 14/06/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल किया। पत्रावली में आदेश पारित कर तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :— 187/24 तारीख दायर 3/6/24

सुभाष कुमार पुत्र कैलाश जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र छितर जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. दिनेश पुत्र गोपाल जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 — 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :—

दिनांक 14/6/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 85 पर अंकित आराजी संख्या 726 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 85 पर अंकित आराजी संख्या 726 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 187/24 तारीख दायर 3/6/24

तारीख फैसल 14/6/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....187......../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

सुभाष कुमार पुत्र कैलाश जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) ....प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र छितर जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. दिनेश पुत्र गोपाल जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) ....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 85 पर अंकित आराजी संख्या 726 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा